

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

06 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या: 545/XVIII(3)/2025-03(01)/2017-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की दिनांक से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रहेंगे:-

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	गांव का नाम
1	2	3	4
नैनीताल	रामनगर	भावर	पम्पापुरी, दुर्गापुरी, कौशल्यापुरी एवं भरतपुरी

आज्ञा से,

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 545/XVIII(3)/2025-03(01)/2017 Dated- October 06, 2025 for general information.

NOTIFICATION

October 06, 2025

No. 545/XVIII (3)/2025-03(01)/2017--In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand) the Governor is pleased to declare that the village mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette:-

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Nainital	Ramnagar	Bhawar	Pampapuri, Durgapuri, Kaushalyapuri and Bharatpuri

By Order,

Dr. SURENDRA NARAYAN PANDEY,

Secretary, Revenue.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 18-10-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 45 राजस्व/506-06-12-2025-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)